http://www.epitomejournals.com, Vol. 3, Issue 7, September 2017, ISSN: 2395-6968

Epitome : International Journal of Multidisciplinary Research
ISSN : 2395-6968

पेरिस जलवायु समझौता : डोनाल्ड ट्रम्प का समझौते से हटना

Mrs. Reshma Yogesh Sangwan

Assistant Professor of Geography,

Mahila Mahavidyala Jhojhu Kalan Charkhi Dadri

Haryana

ABSTRACT

2015 में पेरिस (फ्रांस) में आयोजित जलवायु सम्मेलन में 195 सदस्य देश इस बात पर एकमत हए कि वैश्विक तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की वृद्वि को रोकने के लिए कार्बन–उत्सर्जन में कटौती करेंगे। साथ ही इस दिशा में अपनी प्रगति की समीक्षा के लिए हर साल बैठक आयोजित करने की बात कही। आज वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग (भूमण्डलीय उष्मन) एक वैश्विक समस्या का रूप धारण कर चुकी है जिसे समय रहते नियन्त्रित न किया गया तो पूरी पृथ्वी संकट में पड जाएगी।

मुख्य शब्द :–कार्बन उत्सर्जन (कार्बन एमिशन) युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफ सी सी सी) कान्फ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) क्योटो–प्रोटोकॉल, यूरोपीय संघ

RESEARCH PAPER

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प दवारा व्हाइट हाउस के रोज गार्डन से 1 जून 2017 को पेरिस समझौते से अपने देश (अमेरिका) के हटने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद से ही मीडिया में इससे जुडे लेखों, ब्लॉग्स और टिप्पणियों की बाढ सी आ गई है। विश्व भर के नेताओं की शुरूआती प्रतिक्रिया में एक समान विचार यह रहा है कि उन्होंने पेरिस समझौते के लक्ष्यों और उद्धेश्यों के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की।

ट्रम्प क्यों हुए अलगः– अमेरिका को दोबारा महान बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रम्प दवारा शुरू की गई मुहिम ने पेरिस जलवायु समझौते को संकट में डाल दिया है। ट्रम्प ने यूएसए को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करते हुए कहा– ''हमारे नागरिकों के संरक्षण के अपने गंभीर कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अमेरिका पेरिस जलवायु समझौते से हट जाएगा... हम उससे हट रहे है और फिर से बातचीत शुरू करेंगे''।

ट्रम्प ने कहा है कि वे चाहते है कि जलवायु परिवर्तन को लेकर पेरिस समझौते में अमेरिकी हितों के लिए एक उचित समझौता हो।

चीन ने स्पष्ट कहा है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर समझौते को आगे बढाएगा, लेकिन प्रश्न यह उठता है कि अमेरिका के हटने के बाद अब समझौते का भविष्य क्या होगा । क्या कार्बन उत्सर्जन करने वाले दूसरे देश जिन्होंने धरती पर पर्यावरण संतुलन बनाए रखने का संकल्प लेते हुए समझौते के मसौदे पर हस्ताक्षर किए थे, वे अब राष्ट्रहित के नाम पर समझौते से अलग होने की कोशिश नहीं करेंगे। इसके अलावा जिस तरह से ट्रम्प ने अमेरिकी हितो के अनुरूप समझौते के प्रावधानों में परिवर्तन की बात कही है, उससे साफ है कि अमेरिका अपनी शर्तो पर ही समझौते में बने रहना चाहता है।

क्या है पेरिस समझौताः– 2015 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन सीओपी–21, ले बोर्गेट–पेरिस 30 नवम्बर से 12 दिसम्बर 2015 को आयोजित किया गया था। यह जलवायु परिवर्तन पर 1992 के संयुक्त राष्ट्र संरचना सम्मेलन (यूएनएफसीसीसी) के लिए दलों की बैठक का 21 वां वार्षिक सत्र था और 1997 के क्योटो–प्रोटोकॉल के लिए दलों की बैठक का 11 वां सत्र था। इसमें 195 सदस्य देशों ने भाग लिया था।

पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचाने के लिए और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को निश्चित सीमा तक बनाए रखने के लिए उद्धेश्य को लेकर सन 1992 में रियो–डी–जेनेरियों (ब्राजील) में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन पर पर्यावरण एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में दी युनाइटेड नेशन्स फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएन एफ सी सी सी) नामक एक अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि की। यू एन एफ सी सी में शामिल सदस्य देशो का सम्मेलन काफ्रेंस ऑफ पार्टीज (सीओपी) कहलाता है वर्ष 1995 से सी ओपी के सदस्य देश प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले शिखर सम्मेलन में मिलते हैं

प्रावधान / समझौते :–

अगर यह कम से कम 55 देशों जो वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन के कम से कम 55 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते है, को स्वीकृत अनुमोदित या स्वीकार कर लिया जाता है तो कानूनी रूप से बाध्यकारी हो जाएगा, और 2020 तक कार्यान्वित किया जाएगा।

2 औद्योगिक युग से पहले की तुलना में, 2100 तक ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना।

3 2010 के साथ तुलना में 2050 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन 40 और 70 प्रतिशत के बीच कम किए जाने की, और 2100 में शून्य स्तर तक पहुँचाने की आवश्यकता है

4 अमेरिका को 28 प्रतिशत कार्बन एमिशन कम करने के लक्ष्य।

5 अमेरिका की गरीब देशों में समझौते को अमल में लाने के लिए 3 बिलियन डॉलर देने पर सहमति।

6 पेरिस समझौते के अन्तिम मसौदे में कहा गया कि 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में वृद्धि को सीमित करने के प्रयासों को आगे बढाने का इरादा है।

ओपी सदस्य देशों की बैठक के बाद सामने आए 18 पन्नों के दस्तावेज को सीओपी–21 समझौता या पेरिस समझौता कहा जाता है। अक्तुबर 2016 तक 191 देश समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। समझौते के पहले ही दिन 177 देशों ने हस्ताक्षर दिए। समझौते को लागु होने के लिए 2020 को आधार वर्ष माना गया है।

भारत ने 2 अक्तुबर व यूरोपीय संघ ने 5 अक्तुबर 2016 को हस्ताक्षर कर इसके प्रावधानों को स्वीकार कर लिया। 4 नवम्बर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता औपचारिक रूप से अस्तित्व में आ गया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने सितम्बर 2016 में हस्ताक्षर किए।

कार्बन उत्सर्जन (एमिशन) :– 1998 के बाद के आधुनिक युग में इस बात कि वैज्ञानिक पुष्टि हुई कि कार्बन– उत्सर्जन के चलते वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। 1998 में गठित जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (आइपीसीसी) की रिपोर्ट ने अहम भूमिका निभाई।

टेबल:- निम्न तालिका में कार्बन उत्सर्जन एवं प्रति व्यक्ति उत्सर्जन को दिखाया गया है।

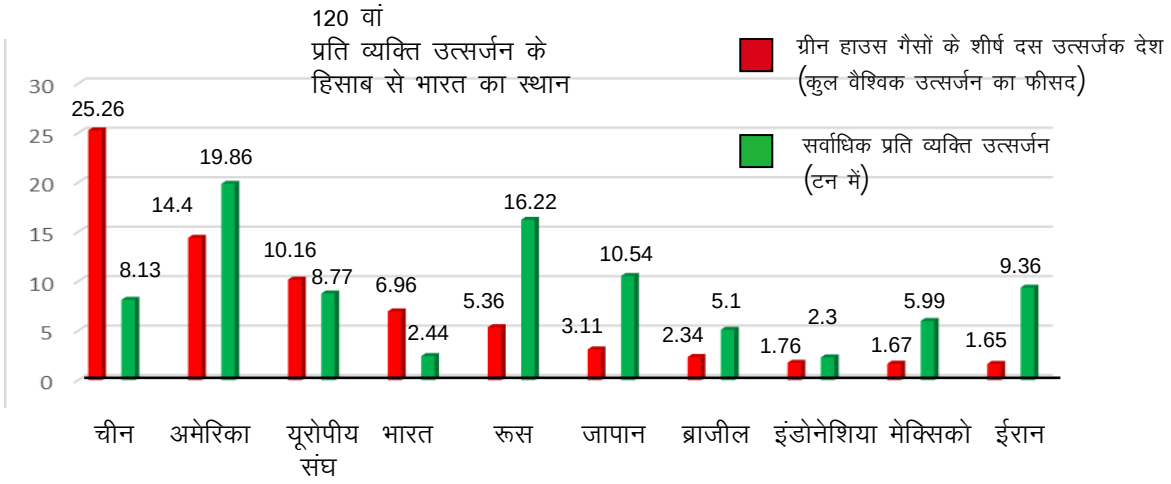

Source : Dainik Jagran dated June 11, 2017

उपरोक्त तालिका के अनुसार चीन सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है जबकि अमेरिका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन (19.86) करता है।

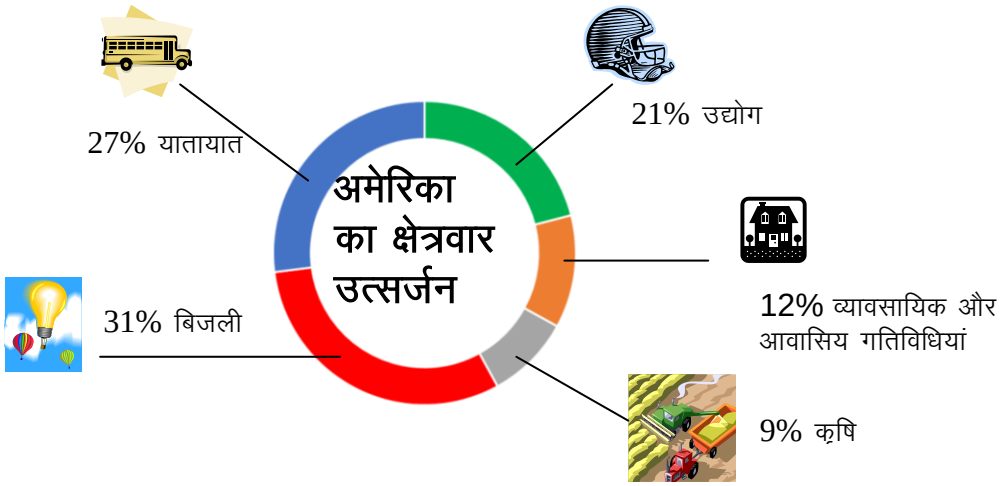

Source : Dainik Jagran dated June 11, 2017

अमेरिका का लक्ष्य साल 2025 तक 2005 के उत्सर्जन स्तर में 26–28 फीसद की कटौती करना है। साथ ही 202 तक गरीब देशो को तीन अरब डॉलर के मदद की घोषणा की। मई 2017 तक अमेरिका मदद के रूप में एक अरब डॉलर जारी कर चुका है ।

पेरिस समझौता और अमेरिका अपवादः–

आज के गतिरोध का कारण अमेरिका अनुमोदन से जुडी सवेदन शीलता और 2020 के क्योटो सन्धि के उत्तराधिकारी (अमेरिका चीन/भारत) के रूप में कानूनन बाध्यकारी सन्धि के लिए यूरोपीय संघ तथा अन्य देशों के अनुरोध से संबंधी वैश्विक चिन्ताएं हो सकती है जहॉ हर कोई इसका दोष राष्ट्रपति ट्रम्प को दे रहा है वहां तथ्यात्मक रूप से देखा जाए तो 2014 के लीमा कान्फ्रेस ऑफ पार्टीज (सीओपी) से पहले ही अमेरिकी रिपब्लिकन लगातार नए जलवायु परिवर्तन समझौते के बारे में गंभीर चिंताओं और सीमाओं की हिमायत कर रहे थे। पेरिस सीओपी से ऐन पहले अमेरिकी कांग्रेस सीनटरों ˙ दवारा यह मुददा उठाया गया। पेरिस समझौते का मामला 2016 के चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र में भी उठाया गया।

15 दिसम्बर 2015 को पेरिस समझौते को अन्तिम रूप दिया गया। राष्ट्रपति ओबामा ने सीनेट की भूमिका के बिना इसे विशेष मंजूरी दी थी, तभी से उनके उत्तराधिकारी का राजनीतिक एवं तर्कसंगत रूप से इस फैसले से हटना तय हो गया है। जलवायु परिवर्तन पर यू एन एफ सी सी को सीनेट की सलाह और मंजूरी के बाद अनुमोदित किए जाने पर गौर किया जाए, ऐसे में पेरिस समझौते के प्रति अमेरिका का समर्पण काफी अलग है।

अपवादः–

1 शुरूआत से ही रियो के सयुक्त राष्ट्र के जलवायु कन्वेंशन पर दस्तखत हुए, तो अमेरिका ने ग्रीन हाउस गैसो पर किसी भी प्रकार की सीमा लगाने का विरोध किया, इसके विपरित वाशिंगटन ने हमेशा राष्ट्रीय संप्रभुता की बात की, जब भी यह तय करने की बात हुई कि किस गैस को कम करना है, किस तरह, कितना और कब तय करना है।

2 1997 में अमेरिका अधिकतर देशो की तरह क्योटो सन्धि में शामिल हो गया। अमेरिका कई रियायते हासिल करने के बाद इसके लिए तैयार हुआ।

3 बिल क्लिंटन के उपराष्ट्रपति अल गोर ने 1998 में अमेरिका की तरफ से इस सन्धि पर हस्ताक्षर किए, लेकिन डेमोक्रटिक प्रशासन इस सन्धि के औपचारिक अनुमोदन के लिए सीनेट में दो तिहाई बहुमत कभी नहीं जुटा पाया।

4 जार्ज बुश राष्ट्रपति बने तो सारी स्थिति बदल गई, पिता जार्ज बुश की तरह जुनियर बुश भी ऐसी सन्धि के विरोधी थे जो उनके विचार में विकास शील देशों को फोसिल ईधन जलाने अपनी अर्थव्यवस्था को बढाने की छुट देता था, जबकि धनी देशों के हाथ उत्सर्जन की सीमाओं के साथ बांध दिए गए थे।

5 2009 में दुनिया भर के देश क्योटो प्रोटोकाल की जगह पर एक नई सन्धि करने के लिए इक्कटठे हुए जिसमें अमेरिका, चीन और भारत सहित सभी देशों को कार्बन कटौती के लिए कदम उठाये थे एवं गरीब देशों के बीच बोझ को बांटने के मुद्धे पर मतभेदों के बीच कोपनहैगन सम्मेलन विफल हो गया।

6 अमेरिका एवं दूसरे समर्थन देशों के बीच एक अनौपचारिक समझौता हुआ जिससे औसत ग्लोबल वार्मिंग को औद्योगिक पूर्व स्तर से 2 डिग्री पर रोकने पर सहमति हुई , लेकिन उत्सर्जन में कटौती का कोई लक्ष्य तय नहीं हुआ।

7 अगला लक्ष्य 2015 तक वैश्विक सन्धि कर लेने का हुआ, जब अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने चीन के शी जिनपिंग के साथ मिलकर भारत सहित 195 देशों को जलवायु सन्धि के लिए इकटठा किया। उत्सर्जन लक्ष्यों की प्रतिबद्धता के बदले योगदान कहा गया है कि जिसकी वजह से ओबामा इस सन्धि का अनुमोदन कर पाए।

अमेरिका का हटना

जहां तक राष्ट्रपति ट्रम्प की घोषणा के बाद से जलवायु संबंधी विचार विमर्श में अमेरिका के भाग न लेने का अनुमानों का प्रश्न है, पेरिस समझौते के अनुच्छेद 28 विशेषकर 28.1 और 28.2 में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि कोई भी पक्ष (देश

) समझौता लागू होने के तीन वर्ष बाद, 4 नवम्बर, 2019 से पहले इससे हटने की अधिसूचना नहीं दे सकता। उसके बाद किसी देश की इस समझौते से हटने की न्यूनतम अवधि 12 महिने है, जो 5 नवम्बर 2020 से पहले मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि 5 नवम्बर 2020 तक अमेरिका पेरिस समझौता पूरी तरह सदस्य बना रहेगा और इस समझौते में संशोधन के प्रस्ताव प्रस्तुत करने सहित इसके विभिन्न नियमों और व्यवस्थाओं से संबंधित विचार विमर्श में भाग ले सकेगा। इतना ही नहीं अनुच्छेद 16 में पहले से किए गए प्रावधान के अनुसार पेरिस समझौते के मूल यूएनएफसीसीसी के एक पक्ष के रूप में अमेरिका समझौते से संबंधित विचार–विमर्श में भाग ले सकता है। उपरोक्त घटनाक्रमों का आकलन अगले राष्ट्रपति चुनाव के लिए होने वाले मतदान के संदर्भ में भी भाग ले सकता है। जो सवैधानिक तौर पर नवम्बर के पहले मंगलवार को कराए जाते हैं, जो 2 नवम्बर 2020 को होगा। यह भी देखा जा सकता है कि समझौते से हटने के लिए नोटिस शायद इस तारीख से बहुत पहले, उदाहरण के तौर पर, नवम्बर 2019 को ही भेजा दिया जाए और वर्तमान राष्ट्रपति इसके बाद भी, जनवरी 2021 तक सत्ता में बने रहे। सैद्धांतिक रूप, बेशक नया राष्ट्रपति 2021 मे फिर से पेरिस समझौते में शामिल हो सकता है, लेकिन आज इस बारे में बात करना जल्दबाजी होगी। ऐसा इसलिए, क्योकि अमेरिका वर्तमान में ट्रम्प की घोषणा के फॉलो अप के रूप में और प्रमुख देश होने के नाते सयुक्त राष्ट्र में कथित औपचारिक कार्यवाही कर रहा होगा और केवल कार्यवाही का कंटेट ही हमें बता सकता है कि अमेरिका वास्तव में बाहर जाने की प्रक्रिया को कैसे करना चाहता है।

ट्रम्प की आपत्ति :–

ट्रम्प आरम्भ से ही पेरिस समझौते के आलोचक रहे है। वे अनेक बार इस बात को दोहरा चुके है कि अमेरिका ने पेरिस में ही सौदा नहीं किया है उनका कहना है कि पेरिस समझौते से अमेरिका के औद्योगिक हित प्रभावित होगें। ग्रीन पीस यू ए ने कहा है कि यह फैसला उन अदूरदर्शी तथा गलत जानकारी पर आधारित है जो जीवाश्म ईधन उद्योग के लिए, वैश्विक समुदायों के लिए नुकसानदायक है और विश्व के नेताओं के बीच ट्रम्प की छवि को ओर खराब करने वाला है।

देश में उर्जा के क्षेत्र में आत्म निर्भरता बढाने के लिए उददेश्य से राष्ट्रपति ट्रम्प ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। इस आदेश के बाद अमेरिका में ओबामा प्रशासन के समय में जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए जारी की गई ज्यादातर नीतियां खत्म हो जाएगी।

ट्रम्प अपने चुनावी अभियान के दौरान भी कोयले के इस्तेमाल का समर्थन करते थे, इसी दिशा में आगे बढते हुए ट्रम्प ने नए आदेश जारी किए जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रपति ट्रम्प का नजरिया पूर्व राष्ट्रपति ओबामा से अलग है। ओबामा का मानना था कि जलवायु में तेजी से परिवर्तन हो रहे है। और इस समस्या से मुँह नहीं मोडा जा सकता। इसी आधार पर ओबामा प्रशासन की नीतियां बनी। इस योजना में पेरिस समझौते के आधार पर अमेरिका के सभी राज्यों को कार्बन उत्सर्जन की सीमा को घटाना था।

इसके साथ ही ट्रम्प ने यह भी कहा है कि भारत ने 2020 तक अपना कोयला उत्पादन दोगुना करने की अनुमति ली। चीन ने कोयले से चलने वाले सैकडो बिजली घर चालु करने की शर्त पर दस्तखत किए। उन्होंने कहा है कि यह समझौता अमेरिकी हितो को नुकसान पहुँचाने वाला है। ट्रम्प ने यह भी कहा है कि संयुक्त राष्ट्र की हरित जलवायु निधि अमेरिका से धन हथियाने की साजिश है। इसके लिए अमेरिका 1 बिलियन डॉलर दे चुका है।

डोनाल्ड ट्रम्प नीतिः–

ट्रम्प ने ओबामा की स्वच्छ उर्जा योजना को रद् कर दिया है। ट्रम्प प्रशासन का कहना है कि योजना के रद् होने से लोगों को काम मिलेगा और देश में ईधन के आयात में कमी होगी। इन्वायर मेंट प्रोटेक्शन एजेसी की इमारत में इस आदेश पर मुहर लगाते हुए ट्रम्प ने कहा," सरकार कोयले को लेकर जारी लडाई का अन्त कर रही है। आज के कार्यकारी आदेश के साथ मैं अमेरिकी उर्जा पर लगे प्रतिबन्धों, सरकारी रोक–टोक और नौकरियां खत्म करने वाली नीतियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा हूँ।

31 मई 2017 को ट्रम्प ने भारत, चीन एवं रूस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि ये देश प्रदूषण रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे है जबकि इसके लिए अमेरिका करोडो डॉलर दे रहा है आने वाले समय में अमेरिका पर वितीय बोझ बढेगा, रोजगार व उद्योगो में कमी आएगी।

ट्रम्प ने अपने फैसले की योजना करते हुए कहा कि उन्हे पीट्सबर्ग का प्रतिनिधित्व करने के लिए निर्वाचित किया गया है ना कि पेरिस का। उन्होंने कहा कि, मैं हर दिन देश के अच्छे लोगों के लिए लड रहा हूँ। अमेरिका के हितों के लिए अमेरिका पेरिस समझौते से हटेगा, लेकिन वह शर्तों के साथ ही पेरिस समझौते पर दोबारा बातचीत शुरू करेगा जो अमेरिका उसके उद्योग, कामगारों, लोगों और कर दाताओं के लिए उचित हो।

निष्कर्ष रूप से हम कह सकते है कि अमेरिका का पेरिस जलवायु समझौते से हटना ठीक नहीं है। पेरिस जलवायु समझौते से हटने के फैसले के बाद कई देशों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। अक्तुबर 2016 तक 191 देश इस समझौते पर हस्ताक्षर कर चुके थे। पेरिस समझौते के पहले ही दिन 177 सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। समझौते के लागु होने के लिए 2020 को आधार वर्ष माना गया है लेकिन सदस्य देशों के साथ समझौते के प्रावधानों पर सहमति हो जाने पर इसे पहले भी लागु किये जा सकने का प्रावधान किया गया। पेरिस समझौते से अमेरिका के हाथ खीचं लेने से 2030 तक विश्व भर में 3 अरब टन ज्यादा का उत्सर्जन होने लगेगा। इसमें वैश्विक उष्मन पर प्रभाव पडेगा क्योंकि अमेरिका सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जक देश है और वह प्रति व्यक्ति 19.86 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन करता है। तथा दूसरा सबसे बडा कार्बन उत्सर्जक देश है जो कुल कार्बन का लगभग 15 प्रतिशत उत्सर्जन करता है। ऐसे में पूरी दूनिया इसे कम करने के लक्ष्य पर काम करेगी, तब अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन इस मुहिम पर भारी पडेगा। इसके अलावा गरीब देशों को अमेरिका से मिलने वाली राशि भी अब नहीं मिलेगी। तथ्य यह भी है कि अमेरिका विकासशील देशों में बढते तापमान को रोकने के लिए वित्तिय एवं तकनीकी मदद उपलब्ध करवाने वाला सबसे अहम स्त्रोत हैं।

डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि वह शर्तों के साथ दोबारा बातचीत के लिए तैयार है। जबकि फ्रांस , जर्मनी जर्मनी और इटली ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि पेरिस जलवायु समझौते पर फिर से बातचीत नहीं की जा सकती, वही नीदलैण्ड ने इसे अमेरिका के लिए ऐतिहासिक भूल बताया है। अमेरिका के जलवायु विश्लेषण भी इसका विरोध कर रहे है।

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी ट्रम्प पर पेरिस जलवायु समझौते पर हाथ खीच कर भविष्य को खारिज कराने का आरोप लगाते हुए चेतावनी दी कि इस समझौते से मिलने वालें आर्थिक लाभों से अमेरिका वंचित रह जाएगा।

यू एन ई पी की उत्सर्जन रिपोर्ट भी ट्रम्प के आरोप को झूठा साबित करने के लिए काफी है। रिपोर्ट ने कहा गया है कि जी–20 देशों में से जो उत्सर्जन के अधिकांश हिस्से के लिए जिम्मेदार है केवल यूरोपीय संघ, भारत एवं ची नही लक्ष्यों के अनुरूप चल रहे हैं सच तो यह है कि ट्रम्प ने अपने चुनावी एजेंडे में अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से अलग करने का मुद्दा शामिल किया था, ऐसे में उनके इस कदम को चुनावी वायदे को पूरा करने के तौर पर देखा जा रहा है अमेरिका का कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए जलाई गई प्रतिबद्धता से मुँह मोडना विनाशकारी साबित हो सकता है अगर इस महाविनाश से मानव सभ्यता को बचाना है तो पेरिस समझौते के पवित्र प्रावधानों को सभी के लिए मानना जरूरी होगा, फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ही क्यों न हों ?

संदर्भ

https://Khabar, ndtv.com

m,livehindustan.com

www.Jansatta.com

m.navbharthtime.indiatime.com

Danik jagran 11 june 2017 (Hisar)

Singh Savinder (2014) Environment Geography, Prayag Pustak Bhawan, Allahabad

https:// hindi.thequint.com

www.urforlive.org

By Sachkahoon.com posted on June 5 2017

First Post. Com

Mukul Gyan Kosh, Wickpidia

"19th Session of the conference of the Parties to the UNFCCC". (http://climate-1.iisd.org/events/conference-of-the-parties-to-the-unfccc/).

"Adoption of the Paris agreement – Proposal by the President – Draft decision -/CP.21" (http://unfccc.int/resource/docs/2015/ cop21/eng/109r01.pdf)/pdf.